फर्द अहकाम

रामप्रसाद बनाम [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (~~जयपुर~~)

प्रकरण संख्या 102 / 202

क. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	15.5.25	वकुलाये फरीकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी दौरे/अवकाश/प्रशा.कार्यों में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 10/6/25 को पेश हो।	
	10.6.25	नाये फरीकेन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 26.6.25 को पेश हो।	
	26.6.25	पत्रावली पेश / वकील उभय पक्ष उपस्थित / नाबिक आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 29.7.25 को पेश हो।	
		उपखण्ड अधिकारी पावटा	
	29/07/25	[illegible] अपील [illegible] के जवाब [illegible] बन्द कर F.R. दिनांक 14/07/22 के उपपक्ष के रास्ते का फैसला होने तक पाबन्द करने हेतु निवेदन किया। जिस पर अपीलार्थी [illegible] सहमति जाहिर की। बहस पक्षगण किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अपील का जवाब F.R. बन्द किया जाकर F.R. दिनांक 14/07/22 के आदेश को [illegible] किया जाकर उभय पक्षों को [illegible] पाबन्द किया जाता है कि आ.न. 176 रकबा 0.80 हैक्टे. [illegible] सितम्बर तक पावटा स्थित बारानी रास्ते का फैसला होने तक मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अपीलार्थी [illegible] प्रार्थना [illegible] के बाद दाखिल दफ्तर हो।	
		उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)	